

**FORM NO.11**

फर्ड अहकाम




(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रवण बनाम ओमप्रकाश वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा अ.धा. 53,88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:- 126/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
05.10.2021	<p>वादी की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत महरोली एड० ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 03.11.2021 को पेश हो।</p> <p> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	<p>3286-98/RA 25-10-2021</p>
06.01.2022	<p>पत्रावली वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली नियत पेशी 03.11.2021 से पूर्व तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी मय वादी पक्षकार ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p> Broh Shah D. Singh Dy. Secy 6/11</p>